सं.सं0–7 / विविध–26–15 / 11.....93(7)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन,बिहार ।
सभी अधीक्षक, सदर अस्पताल / जयप्रकाश नारायण अस्पताल, गया /
एम0 जे0 के0 अस्पताल, बेतिया ।

पटना, दिनांकः 26 / 7 / 2012

विषय : अनुबंध पर नियुक्त चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियो को ससमय मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक–232(7) दिनांक–11.01.12 (प्रति संलग्न) का कृपया स्मरण किया जाय, उक्त पत्र के द्वारा सभी सिविल सर्जन को यह निदेश दिया गया था कि अपने–अपने जिलान्तर्गत प्रत्येक अस्पतालों एवं चिकित्सा केन्द्रों में जहॉ–जहॉ अनुबंध पर चिकित्सक एवं अन्य कर्मी कार्यरत है, के नियंत्री पदाधिकारी से प्रत्येक माह के 20वीं तारीख तक अनुपस्थिति विवरणी प्राप्त कर उस आधार पर सर्वप्रथम अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय का भुगतान उसी माह में व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ इकाई में दिये गये आवंटन से किया जाय । इसके बावजूद भी प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि अनुबंध पर कार्यरत चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों के मानदेय का भुगतान ससमय नहीं किया जाता है। यह स्थिति खेद जनक है ।

दिनांक–20.07.12 को प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं राज्य स्वास्थ्य समिति की समीक्षात्मक बैठक में यह बात उभरकर आयी कि व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ इकाई में विभिन्न उपशीर्ष अन्तर्गत दी गयी आवंटित राशि से प्राथमिकता के आधार पर अनुबंध / संविदा के आधार पर नियुक्त चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों के मानदेय का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर नहीं किया जा रहा है ।

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में पुनः निदेश दिया जाता है कि विभागीय पत्रांक–232(7) दिनांक–11.01.12 द्वारा दिये गये निदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्राथमिकता के आधार पर अनुबंध / संविदा के आधार पर नियुक्त चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों के मानदेय का भुगतान किया जाय । यदि किसी जिले में मानदेय भुगतान ससमय नहीं होता है तो इसकी जबावदेही संबंधित नियंत्रण पदाधिकारी की होगी ।

विश्वासभाजन,

26/7/2012
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 93(7) पटना, दिनांक– 26 – 7 – 12

प्रतिलिपि– सभी उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल / सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

26/7/2012
सरकार के संयुक्त सचिव

\\e\budget 2011-12\letter\All CS doc

O/C

(8

सं.सं0–7 / विविध–26–15 / 11..232(7)/

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन,
बिहार ।

पटना, दिनांकः 11 / 01 / 2012

विषय : अनुबंध पर नियुक्त चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियो को ससमय मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कई श्रोतों से यह जानकारी प्राप्त होती है कि व्यवसायिक एवं विशेष सेवा इकाई में आवंटन उपलब्ध रहने के बावजूद भी अनुबंध पर कार्यरत चिकित्सको एवं अन्य कर्मियों के मानदेय का भुगतान ससमय नहीं किया जा रहा है । इस संबंध में दिनांक 02.01.12 एवं 03.01.12 को दूरभाष पर आप सभी से वार्ता हुई । अधिकांश जिले से यह सूचना दी गयी कि आवंटन की कमी नहीं है । ससमय भुगतान किया जा रहा है । कई जिले से यह भी सूचना प्राप्त हुई है कि विलम्ब से अनुपस्थिति विवरणी प्राप्त होने के कारण भुगतान में विलम्ब होता है । यह स्थिति खेद जनक है ।

अतः यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक माह के 20वीं तिथि तक आपके जिले के अधिन प्रत्येक चिकित्सा केन्द्रों में जहॉ–जहॉ अनुबंध पर चिकित्सक एवं अन्य कर्मी कार्यरत है के नियंत्री पदाधिकारी से अनुपस्थिति विवरणी प्राप्त हो जाय और उस आधार पर सर्वप्रथम अनुबंध पर कार्यरत चिकित्सको एवं अन्य कर्मियो के मानदेय का भुगतान उसी माह में व्यवसायिक एवं विशेष सेवा इकाई से प्राप्त आवंटन से किया जाय । इसमें किसी प्रकार की शिथिलता मान्य नहीं होगी ।

व्यय विवरणी प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय ।

विश्वासभाजन,

11/1/2012

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

\\e\budget 2011-12\letter\All CS doc